न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

आदेश द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **04 / 2018** आवंटन निरस्ती

1. श्री हमेरसिंह पिता रोड़सिंह राजपूत निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा मृतक के बजाय —
(1 / 1) श्री महेन्द्रसिंह पिता हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
(1 / 2) श्री रामसिंह पिता हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
(1 / 3) श्री भगवतसिंह पिता हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
(1 / 4) श्री मदनसिंह पिता हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
(1 / 5) श्रीमती प्यारकुंवर बेवा हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
2. श्री खुमाणसिंह पिता चेनसिंह राजपूत निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
3. श्री भंवरसिंह पिता कुन्दनसिंह जी निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
4. श्री वागसिंह पिता रोडसिंह राजपूत निवासी नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर
5. श्री पुना पिता परथा जी गमेती एवं समस्त ग्रामवासियान नरसिंगदास जी का गुड़ा, मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सोवनीबाई पत्नि श्री मनोहरसिंह राजपूत, निवासी मजावड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन निरस्त कराये जाने हेतु

उपस्थितः
1. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कन्हैयालाल चौर्डिया, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1
3. श्री मनोज पंवार पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 22.7.19

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन निरस्त कराये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि —

मौजा मजावडी, में आराजी नम्बर 3150 रकबा 0.0550हे., आराजी नम्बर 3618/3324 रकबा 0.1500हे., आराजी नम्बर 3544 रकबा 0.1600है. कुल किता 3 रकबा 0.3650हे. भूमि का आवन्टन विपक्षी संख्या 1 को मिसल नम्बर 115 सन 2008 से दिनांक 04.01.2008 को आवंटन किया गया था। मनोहरसिंह राजपूत जो कि विपक्षी संख्या 1 का पति है, वह अध्यापक होकर राजकीय कर्मचारी होते हुए भी उसकी पत्नी को भूमिहीन काश्तकार मानकर भूमि आवंटन की गई। उक्त आवंटन मनोहरसिंह राजपूत द्वारा पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अपनी पत्नी के नाम आवंटन करवा लिया गया। जबकि आराजी नम्बर 3544 में मौके पर आदिवासियों का शमशान बना हुआ है। रेकार्ड में शमशान दर्ज नहीं है। जबकि मौके पर भूमि शमशान के काम आ रही है। इस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस जमीन पर आज दिन तक काश्त नहीं की, गलत तरीके से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया है। जबकि ऐसी भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार दिये ही नहीं जा सकते। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। आराजी नंबर 3150 पर आमरास्ता बना हुआ होकर प्रार्थी ने कुछ निर्माण कार्य कर रखा है। आराजी नम्बर 3324 पर प्रार्थी का कब्जा है। जो पशु के चराई के काम आ रही है। विपक्षी द्वारा अपने पति के प्रभाव से धोखे से व मिसरिप्रजनटेशन से अपने नाम पर करवाया व खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लियें। विपक्षी का पति इसे बेचना चाहता है। इसकी चर्चा दिनांक 09.02.18 को गांव में हुई। तब तत्काल नकले प्राप्त की गई तब पता लगा कि यह भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसके द्वारा धोखे से आवंटन करवायी गई है। जबकि विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आती है। आवंटन के पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र भी जारी नहीं हुआ, न ही मिटिंग प्रोपर बुलायी गई है। नियम 7 की भी पालना नहीं की गई है, न नियम 13 व 13ए की पालना की गई। आवंटन भी पूर्ण कोरम से नहीं किया गया जबकि भूमि रास्ते के रूप में सार्वजनिक रूप से पूरे गांव के काम आ रही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन दिनांक 04.01.2008 को निरस्त फरमाया जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करवाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो भी शामिल पत्रावली है। प्रकरण में मूल आवंटन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से मंगवायी गई। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मौजा मजावडी में आराजी नम्बर 3150 रकबा 0.0550हे., आराजी नम्बर 3618/3324 रकबा 0.1500हे., आराजी नम्बर 3544 रकबा 0.1600है. कुल किता 3 रकबा 0.3650हे. भूमि का आवन्टन विपक्षी संख्या 1 को मिसल नम्बर 115 सन 2008 से दिनांक 04.01.2008 को आवंटन किया गया था। जबकि विपक्षी संख्या 1 का पति मनोहरसिंह सरकारी नौकरी में होकर

अध्यापक है। जो वर्तमान में रावलियां गांव में सर्विस करता है। राजकीय कर्मचारी का परिवार भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन की श्रेणी में नहीं होते हुए भी मनोहरसिंह द्वारा चुपके–चुपके पटवारी से मिलीभगत कर विपक्षी संख्या 1 अपनी पत्नी के नाम आवंटन करवा लिया गया। जबकि आराजी नम्बर 3544 में मौके पर आदिवासियों का शमशान बना हुआ है। रेकार्ड में शमशान दर्ज नहीं होते हुये भी मौके पर शमशान होने से यह भूमि शमशान के काम आ रही है। इस पर विपक्षी का कब्जा नहीं है। आराजी नम्बर 3150 पर आम रास्ता होकर कुछ हिस्से पर प्रार्थी ने कुछ निर्माण कार्य भी करवा रखा है। आराजी नंबर 3324 पर भी प्रार्थी का कब्जा होकर जमीन प्रार्थी के पशु के चराई के काम आ रही है। इस पर भी विपक्षी का कब्जा नहीं है। इस आवंटित भूमि पर इंचमात्र भी विपक्षी का कब्जा नहीं है, ना ही कभी काश्त की गई है, आवंटन शर्तो की भी पालना नहीं की गई है। कथित आवंटन अपने पति के प्रभाव से, धोखे से या मिसरिप्रजनटेशन से अपने नाम करवाया तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर विपक्षी का पति मनोहरसिंह इसे बेचना चाहता है। गावं में इसकी चर्चा होने पर नकले निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि विपक्षी के पति ने अपने प्रभाव से कथित जमीन का आवंटन अपनी पत्नी के नाम विपक्षी संख्या 1 के नाम करवा दिया गया है। आवंटन के पूर्व कोई उदघोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। आवंटन प्रोसेस की कोई पालना नहीं की गई। आवंटन कमेटी भी अपूर्ण थी। आवंटन नियम राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के क्लोज 2 का (iii-ख) का (क) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार या वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठानों या फर्मों का कर्मचारी या उसकी पत्नी और उस पर आश्रित बच्चे भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं माने जायेंगें। जबकि विपक्षी संख्या 1 का पति राजकीय कर्मचारी होकर वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावलिया कला में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में कार्यरत है व उसकी पत्नी किसी भी स्थिति में भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आ सकती है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं की, आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई, मिलीभगत से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये। जब आवंटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा ही नहीं रहा तो उसके द्वारा काश्त करने का मतलब ही नहीं है। मात्र मिलीभगत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये। ऐसी स्थिति में विपक्षी के नाम किया गया आवंटन खारीज योग्य है। अतः आवंटन को निरस्त फरमाया जावे। अपनी बहस की ताईद में निम्न केस लॉ पेश किये :–

1. राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के क्लोज 2 का (iii-ख), 2- R.R.D. 1990 P. 465 (Larger Bench)., 3- R.R.D. 2002 P. 1 (H.C.).,4- R.R.T. 2009 P. 1220 (R.B.),5- R.R.T. 2009 P. 64 (H.C.), 6- R.B.J. 2006 P. 168, 7- R.B.J. 1999 P. 443,8- R.B.D. 1994 P. 311,9- R.R.T. 2001 P. 1358,10- R.R.D. 1982 P. 497,11- R.R.D. 1985 P. 564, 12- R.R.D. 1995 P. 340,13- R.R.T. 2010 P. 1410, 14- R.R.D. 2001 P. 465,15- R.R.D. 2001 P. 143,16- R.R.D. 1993 P. 652,17- R.R.D. 1982 P. Noc .21.,18- R.R.D. 2005 P. 629

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि उक्त आवंटन विपक्षीयां को दिनांक 04.01.2008 को सार्वजनिक रूप से उदघोषणा कर मजमे आम में किया गया। आवंटन किये जाते समय प्रार्थीगण स्वयं उक्त आवंटन के वक्त उपस्थित थे। जिन्हें प्रारम्भ से ही उक्त आवंटन का ज्ञान था। इसके 10 वर्षो बाद विपक्षीयां को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इतने समय पश्चात प्रार्थीगण द्वारा जानते हुये उक्त आवंटन निरस्त कराये जाने हेतु गलत आधारों पर पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में किये गये कथन गलत है। विपक्षी की भूमि पर कोई शमशान नहीं है। आवंटित भूमि के पास में अन्य आराजी जो कि शमशान के लिए आरक्षित है। उसी आराजी में शमशान है। शमशान भूमि के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल बनी होकर गेट लगा हुआ है। शमशान से कोई लेना देना नहीं है। ना ही आवंटित भूमि पर सार्वजनिक रास्ता मौजुद है। सार्वजनिक रास्ता आंवटित भूमि के अतिरिक्त अन्य शेष बची आराजी पर बना हुआ है। प्रार्थी ने गलत आधारों पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि हकीकत यह है कि आवंटित आराजी को विपक्षीयां ने भारी मेहनत मजदूरी कर काश्त योग्य बनाया है तथा वर्तमान में भूमि पर ज्वार मक्का की फसल बोई है। आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई अधिकार नहीं है एवं इतने लम्बे समय के बाद देरी से पेश किये जाने का कारण भी नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त योग्य होने से खारीज फरमाया जावे। अपने कथनों की ताईद में निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये :– 2016 (2)DNJ 732 (Raj), 2009 (1)RRT 453, 2003 (2)RRT 921, 2016 (2)RRT 769 (Raj),

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली जो संलग्न पत्रावली है, का भी अवलोकन किया गया। विपक्षी सं.1 का भू आवंटन पूर्णतया विधिक प्रावधानों के तहत पूर्ण कोरम पर राजस्व अभियान 2008 के तहत हुआ है। विपक्षीयां के आवेदन पत्र पर भूअभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि आवेदित खसरा नंबर उदघोषणा में दर्ज है। विवाद रहित है। इसी आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का आवंटन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह अंकित किया गया है कि विपक्षियां का पति राजकीय कर्मचारी है। वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावलियां कला में कार्यरत है। परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवंटन दिनांक 04.01.2008 को विपक्षियां का पति श्री मनोहरसिंह राजपूत सरकारी नौकरी में था। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह भी कथन किया है कि वादग्रस्त आवंटित आराजीयातों पर विपक्षी का कब्जा नहीं होकर उसके द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गई। विपक्षीया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। इसको साबित करने हेतु अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ में खसरा गिरदावरी की नकले नहीं लगाई गई है। खसरा गिरदावरी की नकलों के अभाव में यह साबित नहीं होता है कि प्रार्थीया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई अथवा नहीं की गई।

साथ ही विद्ववान अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह भी अंकित किया है कि आवंटित आराजी नंबर 3544 में आदिवासियों का शमशान बना हुआ है। आराजी नंबर 3150 पर आमरास्ता होकर प्रार्थी ने कुछ निर्माण कार्य करवा रखा है। इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी सबूत व गवाह प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र एक शमशान का फोटो लगा रखा है जिससे यह साबित नहीं होता है कि यह शमशान किस जगह का है। अपने कथनो की ताईद में कोई गुगलमेप भी नहीं लगाया गया है। वर्तमान में विपक्षीयां को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि विपक्षीयां द्वारा भूमि का आवंटन कपट द्वारा अथवा दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया जाना साबित नहीं पाया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को भी साबित कराने में असफल रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आवंटन निरस्ती स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को प्रेषित की जावें। एक प्रति वास्ते सूचनार्थ तहसीलदार गोगुन्दा को भी प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर